कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन–1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक 13E-05-11/2016:- दिनांक :–

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 862 दिनांक 27.07.2019, ज्ञापांक 603 दिनांक 18.08.2020 एवं आपका ज्ञापांक 2108 दिनांक 31.07.2019 एवं 1680 दिनांक 31.08.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक FP/JH/MIN/20419/2016/3310 दिनांक 24.07.2019 द्वारा निम्नलिखित Observation के साथ Reconsideration के लिये विभाग को लौटाया गया था:–

"Since 26 stone quarry leases in Hazaribagh district and 77 stone quarry leases in adjacent Koderma district have been accorded Environmental Clearance, it is necessary to take into account the full facts in respect of status of these numerous stone quarries, and the District Survey Report (DSR) before considering any new proposal for stone quarries in forest lands in the context of forest conservation and sustainable mining. The committee desired that the details and full facts in this regard should be obtained from the conserned departments and authorities and the proposal may be considered by the committee thereafter."

उपरोक्त दिये गये निर्देश के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 4182 दिनांक 05.12.2020 द्वारा प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण कर प्रतिवेदित किया है कि जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक 741 दिनांक 30.09.2020 द्वारा प्राप्त District Survey Report (DSR) 2020 के अनुसार हजारीबाग जिला अन्तर्गत वर्तमान में कुल धारित खनन पट्टो की संख्या 20 (16–चालू एवं 4–बन्द) है। इसी प्रकार जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 774 दिनांक 23.11.2020 के अनुसार कोडरमा जिला अन्तर्गत कुल 47 पत्थर खनन पट्टा स्वीकृत है। अतः इस प्रकार दोनो जिलों में कुल खनन पट्टा की संख्या 67 है। साथ ही प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 2019 में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय रांची के निरीक्षण दल के निरीक्षण के समय हजारीबाग जिला में खनन पट्टों की संख्या 26 एवं कोडरमा जिला में 77 कुल 103 थी। अतः एक वर्ष के अन्तराल ही दोनों जिला में (103–67) 36 स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या कम हो गयी है। बन्द हुए खनन पट्टा मुख्य रूप से हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी, कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी एवं गौतमबुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी के Eco sensitive zone में स्थापित थे एवं Eco sensitive zone की अधिसूचना के बाद इनका खनन पट्टा अस्वीकृत किया है।

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है मौजा करमा के अधिसूचित असीमांकित वनभूमि प्लॉट संख्या 771 (अंश) एवं 772 (अंश) पर भारतीय वन अधिनियम के उंल्लंघन के आरोप में अब तक अवैध पत्थर खनन के मामलें में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के

तहत् वन वाद संख्या 108/2016, 109/2016, 388/2016, 609/2016, 1412/2019, 1413/2019, 1415/2019, 1196/2019, 1197/2019, 1198/2019, 1750/2019, 1943/2019 1945/2019, 1946/2019, 2210/2020, 2012/2020 दर्ज किया गया है एवं अवैध खनन कार्य में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं यथा हैन्ड ड्रिलरर मशीन, पोकलेन मशीन, लोहे का सब्बल, घाना इत्यादि को जब्त किया गया है, वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही सूचित किया है कि इस अवैध खनन कार्य में आवेदक संस्थान की कोई संलिप्तता नहीं है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी ने उल्लेख किया है कि यह स्थल हजारीबाग जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोडरमा जिला के सीमा पर घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है, जो पूर्व से भी अवैध खनन से प्रभावित है एवं आवेदित स्थल पर वृक्षों की संख्या नगन्य है। अतः आवेदित स्थल पारिस्थिकीय दृष्टिकोण (ecological aspect) से भी बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंड़ल द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुसंशा की गई है।

विषयक मामलें में भवदीय को अवगत कराना है कि प्रस्ताव को स्टेज–1 के स्वीकृति हेतु ततकालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया था। "The proposed area, Karma Stone Mines involves forest land 14.17 ha. which lies in village Karma, Post-Chouparan, District-Hazaribagh. The site was inspected on 15.02.2017. In the proposed diversion, 13.94 ha shall be used for mining and allied activities whereas 0.23 ha. shall be used for proposed approach road within forest land. The proposed land consists of 4.3 ha. of notified demarcated forest and 9.87 ha. of notified undemarcated forest. During inspection it was found that in the surrounding area, just adjacent to the proposed land diversion proposal, illegal mining activities had taken place. The report received in the office indicates that some of the leases have been sanctioned on notified undemarcated forest against the provisions of Forest (Conservation) Act 1980. Illegal mining has also taken place on such notified undemarcated forest where no mining lease had been granted.

The proposed area is almost devoid of vegetation and as a consequence soil erosion as well as gully formation has taken place. On the northern side of proposed land diversion proposal small water body of about 1 acre area was found and special care should be taken, so that the catchment area is not disturbed. For this purpose, at least 15 meter safety zone should be kept on the northern side of proposed lease and also all along the proposed lease hold area, safety zone of 7.5 metre should be left; and adequate indigenous species should be planted at a spacing of 2.5m x 2.5m with proper fencing and their protection should be ensured during the life of lease.

It was felt that systematic and lawful mining and regular visit of field staff in the proposed lease hold area, will be helpful in controlling the meance of illegal mining in the surrounding forest areas. In view of the facts stated in the aforesaid paragraphs, I agree with the recommendation of the Divisional Forest Officer, Hazaribag West Forest Division and the proposal is recommended for consideration with the conditions mentioned in the aforesaid paras."

उक्त प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग द्वारा संचिका पर दिए गये अनुमोदनोपरांत प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 1365 दिनांक 22.05.2017 द्वारा उच्च स्तर पर भेजी गई

थी। प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक FP/JH/MIN/20419/2016/3310 दिनांक 24.07.2019 द्वारा Observation के साथ Reconsideration हेतु दिये गये निर्देश के आलोक में तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के पत्रांक 6151 दिनांक 24.10.2019 द्वारा जिला खनन पदाधिकारी हजारीबाग के प्रतिवेदन के अनुसार हजारीबाग जिले में अप्रैल 2018 तक कुल 22 माईन्स operative होने एवं 29 माईन्स विभिन्न तकनीकि एवं वैधानिक स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण non-operative होने का उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार कोडरमा जिले में कुल 121 पत्थर माईन्स की लीज स्वीकृत होने, जिसमें 56 माईन्स अस्थाई रूप से बंद होने का उल्लेख किया गया था। इस प्रकार कोडरमा एवं हजारीबाग जिले में कुल 85 स्वीकृत माईन्स वर्त्तमान में तकनीकि कारणों एवं वैधानिक स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण non- operational होने का उल्लेख करते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया था, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 3758 दिनांक 28.12.2019 द्वारा भवदीय को अग्रसारित किया गया था।

प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भारत सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में पुनः पुर्नपरीक्षण कर प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 2019 में हजारीबाग जिला में खनन पट्टों की संख्या 26 एवं कोडरमा जिला में 77 कुल 103 थी। जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग से प्राप्त District Survey Report (DSR) 2020 के अनुसार हजारीबाग जिला अन्तर्गत वर्तमान में कुल धारित खनन पट्टो की संख्या 20 है एवं जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा के अनुसार कोडरमा जिला अन्तर्गत कुल 47 पत्थर खनन पट्टा स्वीकृत है। अतः एक वर्ष के अन्तराल ही दोनों जिला में 36 स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या कम हो गयी है का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से प्राप्त पत्र की छायाप्रति सभी अनुलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित स्थिति के आलोक में विषयक परियोजना की स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

आपका विश्वासी
ह0 / –
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांक 2975 दिनांक 15/12/2020

प्रतिलिपि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को उनके पत्रांक 4182 दिनांक 05.12.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

14.12.2020

\\Desktop-esst116\e\CFH\F.C. Act\Karma Mining Proposal\13E-5-11-2016 (Karma Stone Mines).doc

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmal.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक : 4182 दिनांकः 05.12.2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक FP/JH/MIN/20419/2016/3310 दिनांक 24.07.2019 एवं झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक 2245 दिनांक 15.08.2020 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची का ज्ञापांक 603 दिनांक 18.08.2020 तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 487 दिनांक 27.02.2020, ज्ञापांक 1680 दिनांक 31.08.2020 तथा आपका पत्रांक 2097 दिनांक 09.09. 2020 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 596 दिनांक 06.02.2017।

पत्र संख्या 4264 दिनांक 08.12.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 596 दिनांक 06.02.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अनुसंशा के साथ अग्रसारित मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 वनभूमि (अधिसूचित सीमांकित वनभूमि 4.30 हे0 एवं अधिसूचित असीमांकित वनभूमि 9.87 हे0) अपयोजन भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रॉंची द्वारा उनके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निम्नलिखित Observation के साथ पुर्नपरीक्षण हेतु निदेश दिया गया था– " Since 26 stone quarry leases in Hazaribag district and 77 stone quarry leases in adjacent Koderma district have been accorded Environmental Clearance, it is necessary to take into account the full facts in respect of status of these numerous stone quarries and the District Survey Reports (DSR) before considering any new proposal for stone quarries in forest lands in the context of forest conservation and sustainable mining. The committee desired that the details

and full facts in this regard should be obtained from the concerned departments and authorities and the proposal may be considered by the committee thereafter."

इस Observation के आलोक में प्रस्ताव का पुर्नपरीक्षण किया गया एवं स्थिति निम्नवत पाया गया –

जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक 741 दिनांक 30.09.2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा समर्पित District Survey Reports (DSR) report 2020 के आलोक में वर्तमान में हजारीबाग जिले में कुल खनन पट्टों की संख्या 20 (चालू–16 एवं बन्द–4) है। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 774 दिनांक 23.11.2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में कोडरमा जिला हेतु स्वीकृत DSR के अनुसार इस जिला में कुल 47 पत्थर खनन पट्टा स्वीकृत है। इस प्रकार दोनो जिला के District Survey Reports (DSR) के मुताबिक कुल स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या 20+47=67 है जबकि वर्ष 2019 में भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के निरीक्षण दल के निरीक्षण के समय इन दोनो जिलों में स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या 26 (हजारीबाग) + 77 (कोडरमा) = 103 थी। स्पष्ट है कि एक वर्ष के अन्तराल में ही दोनो जिलों में कुल स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या 36 (103–67) कम हो गया है। बन्द हुए खनन पट्टे मुख्य रूप से हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी, कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी एवं गौतमबुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी के Eco-sensitive Zone में स्थापित थे एवं Eco-sensitive Zone की अधिसूचना के बाद इनका नवीकरण अस्वीकृत किया गया है। अतः कुल 36 खनन पट्टो के बन्द होने के परिपेक्ष्य में मे0 रामचन्द्र मेहता कैप्टन आनंद अपर्णा देवी द्वारा अधिसूचित सीमांकित वनभूमि 4.30 हे0 एवं अधिसूचित असीमांकित वनभूमि 9.87 हे0 पर कुल 14.17 हे0 में पत्थर खनन हेतु स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

ज्ञातव्य हो कि मौजा करमा के अधिसूचित असीमांकित वनभूमि प्लॉट संख्या 771 के अंश पर खनन विभाग द्वारा श्री रामकुमार प्रसाद सिंह एवं श्री नरेश जैन को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। साथ ही उक्त अधिसूचित असीमांकित वनभूमि प्लॉट संख्या 772 से सटे हुए रैयती भूमि पर भी खनन

विभाग द्वारा पत्थर उत्खनन हेतु लीज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। खनन विभाग द्वारा असीमांकित वनभूमि को वन सीमा से बाहर रैयती मानते हुए खनन पट्टा स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त वर्णित लीजधारको द्वारा दिये गये लीज की आड़ में पत्थर उत्खनन, सडक निर्माण एवं Dump अधिसूचित असिमांकित वनभूमि के प्लॉट संख्या 771 (अंश) एवं 772 (अंश) में किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को खनन पट्टाधारियों को उपरोक्त वर्णित खनन पट्टों को रद्द करने हेतु कई बार पत्र लिखा गया है परन्तु खनन पट्टा रद्द करने संबंधी सूचना अब तक इस कार्यालय को अप्राप्त है। उपरोक्त वर्णित लीजधारको एवं इनके अन्य सहयोगियों के द्वारा अधिसूचित असिमांकित वनभूमि के प्लॉट संख्या 771 अंश एवं 772 अंश पर वन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में अब तक चौपारण प्रक्षेत्र के मौजा करमा वन में अवैध पत्थर खनन के मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत वन वाद संख्या 108/2016, 109/2016, 388/2016 , 609/2016, 1413/2019, 1412/2019, 1315/2019, 1198/2019, 1197/2019 , 1196/2019 , 1946/2019, 1945/.2019, 1750/.2019, 1943/2019, 2210/2020, 2012/2020 दर्ज किया गया है, एवं अवैध खनन कार्य में उपयोग की जाने वाले वस्तुओं यथा हैन्ड ड्रिलरर मशीन, पोकलेन मशीन, लोहे का सब्बल, घाना इत्यादि को जब्त किया गया। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

इस अवैध खनन कार्य में आवेदक संस्थान की कोई संलिप्तता नही है । इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस कार्यालय द्वारा इसका उल्लेख पार्ट II एवं Site inspection report में करते हुए प्रस्ताव का अग्रसारित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि करमा सुरक्षित वन घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ स्थानीय राजनेताओं, अपराधियों एवं उग्रवादियों के सहयोग से रात्रि में अवैध खनन किया जाता है, जिसे नियंत्रित करना निहत्थे एवं स्वीकृत बल के एक तिहाई से कम संख्या में कार्यरत रहे वनकर्मियों के दुष्कर कार्य है। अतः इस स्थल पर लीज स्वीकृति की अनुशंसा निम्नलिखित कारणों से किया जा रहा है :–

(1) यह स्थल हजारीबाग जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में कोडरमा जिला के सीमा पर घोर उग्रवाद प्रस्तावित क्षेत्र में अवस्थित है, जो पूर्व से भी अवैध खनन से प्रभावित है एवं आवेदित स्थल पर वृक्षों की संख्या भी नगन्य है। अतः आवेदित स्थल पारिस्थिकीय दृष्टिकोण (ecological aspect) से भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

(2) यहाँ अवैध खनन स्थानीय उग्रवादियों , सशस्त्र अपराधियों एवं स्थानीय राजनेताओं के संरक्षण में रात्रि में किया जाता है जिसपर नियंत्रण पाना स्थानीय वन कर्मचारियों (01 वन क्षेत्र पदाधिकारी, 01 वनपाल एवं 04 वनरक्षिय्रों) के लिए अत्यंत कठिन है।

(3) इस पट्टा की स्वीकृति से इस क्षेत्र में वन्यप्राणी आश्रयणियों के इको सेन्सीटीभ जोन में आने के कारण बन्द हुए खनन पट्टो के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होगे।

(4) सरकारी राजस्व की प्राप्ति होगी।

अतः इस प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकता है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

05/12/2020

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

झारखण्ड सरकार ☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

MOMENTUM
JHARKHAND
The investment destination
GLOBAL INVESTORS' SUMMIT2017
16-17 February, Ranchi

पत्रांक : दिनांक :

सेवा में,

, वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषय :– *मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।*

प्रसंग :– *ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या* FP/JH/MIN/20419/2016 *एवं मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी का आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2016 तथा दिनांक 17.12.2016*

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि *मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन* प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम (संशोधन अधिनियम) 2014 के तहत् ऑन लाईन आवेदन नोडल पदाधिकारी–सह–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोंड, झारखण्ड, राँची के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव की स्थिति निम्नवत् है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र ऑन लाईन फार्म A पार्ट I में समर्पित किया गया है। प्रस्ताव कुल 14.17 हे0 वन भूमि अपयोजन से संबंधित है।
2. प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि निम्नवत है :–

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित सीमांकित वन भूमि का रकवा (हे0 मे)	अधिसूचित असीमांकित वन भूमि का रकबा (हे0 में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकबा (हे0 में)
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	4.30	9.87	14.17

3. प्रस्ताव के साथ 1:50000 के पैमाने पर टोप्पो शीट संख्या G45T7, (72H/7) पर दर्शाते हुए रंगीन स्कैन की प्रति संलग्न किया गया है।
4. ग्राम करमा में कराये गये ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
5. Cost benefit analysis प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. Department of Mines and Geology , Hazaribag द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लॉन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 1455, 1456/क0 हजारीबाग क्रमशः दिनांक 24.09.2016 द्वारा प्रस्तावित वनभुमि 14.17 हे0 का वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0 पी0 भी0, क्षतिपूरक वनरोपण, सेफटी जोन क्षेत्र के घेरान तथा सेफटी जोन के डेढ गुणे क्षेत्र पर वनरोपण की राशि एवं वन्य प्राणी प्रबंधन योजना के संबंध में देय राशि देने हेतु वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया है।

9. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि गढवा जिले के गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा बालीगढ, थाना गढवा, थाना नम्बर 2, 4, 5, 6, 48, रकवा 14.17 हे0 चयनित कर प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढवा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वनरोपण भूमि का सत्यापित नक्शा एवं स्थल विशिष्ट क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का DGPS report/Geo-reference in shape file प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का Registered deed की प्रति, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, सम्पति अभ्वार प्रमाण पत्र एवं संबंधित अपर समाहर्त्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि भूमि संबंधी अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

11. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का 1:50000 के पैमाने पर टोप्पो शीट संख्या 72A/12 पर दर्शाते हुए रंगीन स्कैन की प्रति संलग्न किया गया है तथा ग्राम कैडस्ट्रल मानचित्र लोकेशन दर्शाते हुए संलग्न किया गया है।

12. प्रस्तावित वन भूमि अपयोजन के संबंध में स्पष्ट रूप से "purpose wise breakup of total land required" की विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

13. परियोजना के अन्तर्गत लोगो का विस्थापन (displacement) नही हो रहा है।

14. प्रस्तावित वन भूमि अपयोजन में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संयुक्त गणना सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

15. प्रस्तावित वन भूमि का ग्राम मानचित्र लोकेशन दर्शाते हुए एवं Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है। परियोजना अन्तर्गत ग्राम करमा के प्लॉट 771 (अंश) में 0.23 हे0 वनभूमि पहुँच पथ हेतु प्रस्तावित है, जिसका वर्णन Land Schedule में किया गया है।

16. परियोजना को राज्यमार्ग से जोडने वाली पहुँच पथ (पूर्व निर्मित सरकार का सर्वे रोड) ग्राम नवादा, थाना नम्बर 310, प्लॉट नम्बर 623, रकवा 6.06 एकड (जो प्रस्तावित नही है) का भूमि अनुसूचि, ग्राम कैडस्ट्रल मानचित्र एवं खतियान की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

17. प्रस्ताव के साथ अधोहस्ताक्षरी का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पार्ट–II तथा प्रमण्डल से संबंधित Basic information संलग्न है।

18. प्रस्तावित वन भूमि का वनस्पति घनत्व 0.3 है।

19. प्रस्तावित वन भूमि का DGPS सर्वे प्रतिवेदन (Geo- referenced boundary map in shape file) प्रस्ताव के साथ संलग्न है |.

20. प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी आश्रयणी का हिस्सा नही है। इस संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा अपने पत्रांक 2992 दिनांक 27.12.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि आवेदित स्थल का निकटतम वन्य प्राणी आश्रयणी से दूरी 10.2 कि0मी0 है।

21. Applied mining lease plan, Geological plan of Area, Existing land use plan, proposed land use plan प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

22- सेफ्टीजोन क्षेत्र 1.60 हे0 है। सेफ्टीजोन हेतु 7.50 मीटर चौड़ी पट्टी मानचित्र पर दर्शाते हुए सेफ्टीजोन प्लॉन संलग्न है। (प्लेट VII)

23- Partnership deed of the firm प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

24- Phased reclamation plan and afforestation schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

ज्ञातव्य हो कि करमा वन क्षेत्र एवं आस पास के रैयती भूमि पर जिला खनन विभाग द्वारा खनन पट्टा लिज पर दिया गया है। मौजा करमा के अधिसूचित असिमांकित वनभूमि प्लॉट संख्या 771 के अंश पर खनन विभाग द्वारा श्री रामकुमार प्रसाद सिंह एवं श्री नरेश जैन को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। साथ ही उक्त अधिसूचित असिमांकित वनभूमि प्लॉट संख्या 772 से सटे हुए रैयती भूमि पर भी खनन विभाग द्वारा पत्थर उत्खनन हेतु लीज की स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रस्ताव के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि लीजधारको द्वारा दिये गये लीज की आड में पत्थर उत्खनन, सडक निर्माण एवं Dump अधिसूचित असिमांकित वनभूमि के प्लॉट संख्या 771 (अंश) एवं 772 (अंश) में किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग एवं संबंधित पदाधिकारी को खनन पट्टाधारियों को दिये गये उक्त खनन पट्टा रद्द करने हेतु कईएक बार पत्र लिखा गया है (छाया प्रति संलग्न), परन्तु खनन पट्टा रद्द करने संबंधी सूचना अब तक इस कार्यालय को अप्राप्त है। उक्त लीजधारी एवं इनके अन्य सहयोगियों के द्वारा अधिसूचित असिमांकित वनभूमि के प्लॉट संख्या 771 अंश एवं 772 अंश पर वन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में अब तक 09 वन वाद भी दर्ज किया गया है। **उक्त अवैध खनन प्रयोक्ता संस्थान द्वारा नहीं किया गया है बल्कि अधिसूचित सिमांकित वन भूमि एवं इसके अगल–बगल अवस्थित रैयती प्लॉटों पर खनन विभाग द्वारा दिये गये खनन पट्टा लीजधारियों द्वारा किया गया है।** इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसका उल्लेख पार्ट II एवं Site inspection report में करते हुए प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

साथ ही प्रस्ताव को करमा एवं आसपास के वनभूमि में हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन, जैसे मामलो को मद्देनजर रखते हुए प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

अतः प्रस्ताव की मूल आठ प्रतियाँ चेक लिस्ट सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र के साथ संलग्न कर यथोचित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

आपका विश्वासी,

अनुलग्नकः— यथोक्त।

ह0/—
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक,—सह— कार्यकारी निर्देशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ-समर्पित।

ह0/—
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक 596 दिनांक 06.02.2017

प्रतिलिपि *मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी का आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2016 के कम में* सूचनार्थ प्रेषित्।

4/2/17
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल
4/2/17

Received Call on In original
6/2/17

जिला खनन कार्यालय, कोडरमा।

पत्रांकः– 774 / एम0, कोडरमा, दिनांकः– 23/11/2020

FCA 24/11/2020

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
कोडरमा।

4997
26.11.2020

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल।

24/11/2020

विषयः– मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 अधिसूचित वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक– 3792, दिनांक– 02.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि कार्यालय पत्रांक– 953/एम0, कोडरमा, दिनांक– 17.08.2019 द्वारा कोडरमा जिला अन्तर्गत अवस्थित खनन पट्टों से सम्बंधित प्रतिवेदन एवं जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराई गई थी। वर्त्तमान में कोडरमा जिलान्तर्गत कुल 47 खनन पट्टा स्वीकृत है।

24/11/2020

विश्वासभाजन

23.11.2020

जिला खनन पदाधिकारी
कोडरमा।

जिला खनन कार्यालय हजारीबाग।

(e-mail Id – dmo-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक 741 /खनन, हजारीबाग, दिनांक 30/9/20

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
हजारीबाग ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल,
हजारीबाग ।

विषय : मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अर्पणा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 3186, दिनांक 22.09.2020 के आलोक में इस जिलान्तर्गत धारित पत्थर खनन पट्टा की अद्यतन सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

D:\backup 3\Backup\My Document\2018-19\Forest Letter.docx

हजारीबाग जिलान्तर्गत लघु खनिज पत्थर खनन पट्टाधारी हैं जिनकी सूची निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	खनन पट्टाधारी का नाम एवं पता	पट्टा अवधि	मौजा	क्षेत्र का विवरण	प्रदुषण सहमति	पर्यावरणीय स्वीकृति	माइनिंग प्लॉन	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अंचल – टाटी झरीया							
1	मेसर्स झरिया स्टोन माईन्स श्री धीरेन्द्र कुमार एवं अन्य, पिता स्व0 बाबु लाल साव ग्रा+पो0+थाना–विष्णुगढ, जिला– हजारीबाग।	29.09.10 से 10 वर्षो तक	झरीया	खाता सं0 134, प्लॉट सं0 1595, रकवा 1.79 एकड़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	चालू
2	मेसर्स गणपति स्टोन इन्टरप्राईजेज, साझे0 श्री कौलेश्वर प्रसाद मेहता, पिता श्री कमल राम, (2) श्री मुकेश कुमार, पिता श्री महेन्द्र प्रसाद मेहता, (3) श्री अरविन्द कुमार, पिता श्री बटेश्वर मेहता, तीनों ग्राम– चन्दा, पो0+थाना– ईचाक, जिला– हजारीबाग	20.05.16 से 10 वर्षो तक	मुरुमातु	खाता सं0 110, 29, 125, 78, 108, 86, 21, 62, 61, 50, 08, 122, 111, 34, 30, 43, 106 एवं 90, प्लॉट सं0 1160 से 1170, 1172 से 1176, 1179 से 1187, 1191 एवं 1193 से 1196, रकवा 5.87 एकड़	प्राप्त Ltr. 94 dt. 09.07.17 67 tonne per day valid upto 30.06.22	प्राप्त Ltr. 2580 dt. 31.12.15 Mineable proved reserve 1,18,482 M^3	प्राप्त	चालू
3	मेसर्स लेबोरियस कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, निदेशक – श्री भगत सिंह, पिता– श्री बैजनाथ प्रसाद, ग्राम+पो0+ थाना – गढ़वा, जिला– गढ़वा।	18.11.17 से 17.11.27 तक	मुरुमातु	खाता सं0 90, 10, 125, 01, 08, 43, 48, 70 एवं 119, प्लॉट सं0 1212, 1216 से 1221, 1269, 1288, 1237, 1270, 1271, 1272, 1235, 1285, 1289, 1241, 1238, 1240, 1239, 1236, 1243 एवं 1244, रकवा 4.56 एकड़	प्राप्त Ltr. 264 dt. 22.03.18 124.86 TPD valid upto 28.02.19	प्राप्त Ltr. 23 dt. 07.01.17 Mineable proved reserve 3,74,585 tonnes	प्राप्त	चालू
4	मेसर्स मुरुमातु स्टोन माईंस, साझे0 (1) श्री अरविन्द कुमार मेहता, पिता श्री बुद्धनाथ प्रसाद मेहता, ग्रा0+पो0– डुमरौन, थाना– ईचाक, जिला– हजारीबाग एवं (2) श्री अजय प्रसाद मेहता, पिता श्री वासुदेव मेहता, ग्रा0– चन्दा, पो0+थाना– ईचाक, जिला– हजारीबाग।	16.12.17 से 15.12.27 तक	मुरुमातु	खाता सं0 48, प्लॉट सं0 1036, रकवा 1.42 एकड़	प्राप्त Ltr. 59 dt. 11.04.18 Stone Boulder 1st Year – 9,027.00 Tonne, 2nd Year – 9,149.36 Tonne 3rd Year – 9,193.99 Tonne 4th Year – 9,264.78 Tonne 5th Year – 9,172.82 Tonne valid upto 31.03.23	प्राप्त Ltr. 63 dt. 22.08.17 Mineable proved reserve 45,837.576 mt.	प्राप्त	चालू
	अंचल – बरकट्ठा							
5	मेसर्स रैमकॉन इन्फारट्रक्चर प्रा0 लि0, निदेशक, श्री निलेश रंजन एवं अन्य, पिता श्री सरयु प्रसाद मेहता, ग्रा+पो0–बैहराडीह, था0– डोमचांच, जिला– कोडरमा।	02.07.2015 से 10 वर्षो तक	कोनहराकला	खाता सं0 47,37,53,55 एवं 56, प्लॉट सं0 837 से 839, 1000 से 1006, 1007(अंश),1008 से 1010 एवं 1013, रकवा 4.50 एकड़	प्राप्त Ltr. D-278 (C) dt. 9.11.15/01.02.16 110 tonne per day valid upto 31.12.16	प्राप्त Ltr. 369 dt. 07.05.14 Mineable proved reserve 2,95,418 tonnes	प्राप्त	चालू
6	मेसर्स गोल्डेन स्टोन हार्वेस्ट प्रा0 लि0, निदेशक श्री शिवेश सिंह, पिता श्री शिव मंगल सिंह, कार्यालय पता– एफ–14, सिटी सेन्टर, क्लब रोड़, पो0– लोअर बाजार, थाना– चुटिया, जिला– राँची।	01.06.16 से 10 वर्षो तक	कोनहराकला	खाता सं0 37, 46, 55 एवं 65, प्लॉट 912, 915(अंश), 918(अंश) एवं 920, रकवा 3.145 एकड़	प्राप्त Lt. 177 dt. 24.11.17 260 tonne per day valid upto 30.09.21	प्राप्त Ltr. 1195 dt. 07.08.15 Mineable proved reserve 5,91,903 tonnes	प्राप्त	चालू
	अंचल – सदर							
7	श्री दिलीप प्रसाद, पिता श्री जय लाल महतो, ग्राम–चुरचु,पो0–ईचाक, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग।	10.04.12 से 10 वर्षो तक	पुन्दरी	खाता सं0 36 एवं 63, प्लॉट सं0 03 एवं 04, रकवा 1.02 एकड़	प्राप्त Ltr. 18 dt. 24.02.17 25 tonne per day valid upto 31.09.20	प्राप्त Ltr. 1771 dt. 26.10.15 Mineable proved reserve 1,43,312 Ton.	प्राप्त	चालू

क्र0 सं0	खनन पट्टाधारी का नाम एवं पता	पट्टा अवधि	मौजा	क्षेत्र का विवरण	प्रदुषण सहमति	पर्यावरणीय स्वीकृति	माईनिंग प्लॉन	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अंचल – सदर							
8	मेसर्स माँ सरस्वती स्टोन चिप्स वर्क्स साझे0 (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद, पिता– स्व0 दशरथ महतो एवं (2) श्री राज कुमार प्रसाद, पिता– स्व0 नागेश्वर महतो, दोनों ग्राम– चुरचु, पो0– ईचाक, थाना सदर, जिला– हजारीबाग।	28.03.16 से 10 वर्षो तक	चुरचु	खाता सं0 89, 99 एवं 149, प्लॉट सं0 10402, 10403, 10404, 10417(अंश) एवं 10398, रकवा 2.45 एकड़	प्राप्त Ltr. 98 dt. 15.07.17 100 tonne per day valid upto 30.06.22	प्राप्त Ltr. 1326 dt. 17.08.16 Mineable proved reserve 3,06,810 tonnes	प्राप्त	चालू
9	मेसर्स गणेश स्टोन वर्क्स, साझे0 (1) श्री सुरेश कुमार, पिता श्री सहदेव प्रसाद मेहता एवं (2) श्री विकास कुमार, पिता श्री इन्द्र प्रसाद मेहता, दोनो ग्राम– चुरचु, पो0– ईचाक, थाना– सदर, जिला– हजारीबाग।	05.12.17 से 04. 12.2027 तक	चुरचु	खाता सं0 149, प्लॉट सं0 10065 (अंश), रकवा 3.00 एकड़	प्राप्त Ltr. 23 dt. 14.02.18 40,435.94 TPA valid upto 31.01.19	प्राप्त Ltr. 59 dt. 22.08.17 Mineable proved reserve 3,10,262.27 mt.	प्राप्त	चालू
10	मेसर्स जय हनुमान स्टोन वर्क्स, साझे0 (1) श्री राकेश रंजन, पिता श्री बदी प्रसाद मेहता, ग्राम– सिन्दुर, पो0+थाना– सदर, जिला– हजारीबाग एवं (2) श्री कैलाश प्रसाद, पिता श्री बुटन महतो, ग्राम– चुरचु, पो0– ईचाक, थाना– सदर, जिला– हजारीबाग।	05.12.17 से 04. 12.2027 तक	चुरचु	खाता सं0 149, प्लॉट सं0 10065 (अंश), रकवा 4.00 एकड़	प्राप्त Ltr. 311 dt. 14.02.18 59,420.29 TPA valid upto 31.01.19	प्राप्त Ltr. 60 dt. 22.08.17 Mineable proved reserve 4,69,328.31 mt.	प्राप्त	चालू
11	श्री चन्द्रधारी प्रसाद, पिता– स्व0 ठाकुर महतो, ग्राम– चुरचु, पो0– ईचाक, थाना– सदर, जिला– हजारीबाग।	28.03.16 से 10 वर्षो तक	पुन्दरी	खाता सं0 63, प्लॉट सं0 13, रकवा 2.40 एकड़	प्राप्त Ltr. 89 dt. 05.07.17 100 tonne per day valid upto 30.06.21	प्राप्त Ltr. 1323 dt. 17.08.16 Mineable proved reserve 3,09,456 Ton	प्राप्त	चालू
	अंचल – चौपारण							
12	सर्व श्री विकास मिनरल्स प्रो0 – श्रीमती हेमलता देवी, पति स्व0 शंकर यादव, ग्राम – झुमरी पो0 – करमा, थाना – तिलैया, जिला – कोडरमा।	12.01.16 से 10 वर्षो तक	मटबिगहा	खाता सं0 01, 12, 33, 35, 47 एवं 50, प्लॉट सं0 540, 541, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 571 (अंश), 600 एवं 601, रकवा 2.40 एकड़	प्राप्त Ltr. 91 dt. 08.07.17 118 tonne per day valid upto 30.06.21	प्राप्त Ltr. 2527 dt. 31.12.16 Mineable proved reserve 1,48,664 tonnes	प्राप्त	चालू
13	श्री परमेश्वर गोप पिता श्री भवानी गोप ग्राम – हरिला पो0 थाना –बरही, हजारीबाग।	01.09.12 से 10 वर्षो तक	ढाब सलोनियाँ	खाता सं0 20, प्लॉट सं0 03, रकवा 1.24 एकड़	प्राप्त Ltr. 119 dt. 28.08.17 27 Tonnes per day valid upto 28.02.22	प्राप्त Ltr. 1814 dt. 31.11.15 Mineable proved reserve 1,38,431 tonnes.	प्राप्त	चालू
14	श्रीमती सुन्दरी देवी, पति स्व0 रामकुमार प्र0 सिंह, मु0 गोपकीता, पो0+थाना पण्डारक, जिला – पटना।	08.09.10 से 10 वर्षो तक	करमा	खाता सं0 , प्लॉट सं0 771 (अंश), रकवा 3.92 एकड़	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	बन्द
15	श्री मागेश्वर राणा एवं अन्य, पिता स्व0 मरण राणा, ग्राम–पुरनाडीह, पो0–ढाबथाम, थाना–चन्दवारा, जिला–कोडरमा	06.07.15 से 10 वर्षो तक	करमा	खाता सं0 27,28,30,31, प्लॉट सं0 767, 769, 766 एवं 768, रकवा 3.10 एकड़	प्राप्त Ltr16(C) dt. 11/02.17 100 tonne per day valid upto 31.12.21	प्राप्त Ltr. 997 dt. 02.06.15	प्राप्त	बन्द

क्र० सं०	खनन पट्टाधारी का नाम एवं पता	पट्टा अवधि	मौजा	क्षेत्र का विवरण	प्रदुषण सहमति	पर्यावरणीय स्वीकृति	माईनिंग प्लॉन	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अंचल – पदमा							
16	मेसर्स जय माता मेटल्स, प्रो० श्री शम्भु नाथ सिंह, पिता स्व० बलिराम सिंह, बगोदर रोड़ आर० के० मार्बल के नजदीक, मटवारी, हजारीबाग।	18.09.11 से 10 वर्षो तक	कण्डादाग	खाता सं० 81, प्लॉट सं० 590 (अंश), रकवा 5.12 एकड़	अप्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	बन्द
	अंचल – बरही							
17	श्री भागीरथ यादव पिता – श्री भीखारी यादव, ग्रा०– पडीरमा, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग।	11.07.14 से 10 वर्षो तक	बसरिया	खाता सं० 24, प्लॉट सं० 78 (अंश), रकवा 1.40 एकड़	प्राप्त Ltr. 73 dt. 10.07.16 600 CFT per day valid upto 30.06.19	प्राप्त Ltr. 2164 dt. 15.12.15 Mineable proved reserve 89,976 tonnes	प्राप्त	चालू
18	श्री राम मनोहर, पिता श्री रघुवर यादव, ग्राम–महुआटांड, पो०–तिलैयाडैम, थाना– बरही, जिला–हजारीबाग।	27.04.12 से 10 वर्षो तक	महुआटांड	खाता सं० 12 एवं 13, प्लॉट सं० 04 (अंश),07,10 से 13, रकवा 2.10 एकड़	प्राप्त Ltr. 1179 dt. 12/27.04.16 4447 tonne per year valid upto 31.03.17	प्राप्त Ltr. 223 dt. 04.01.14 Mineable proved reserve 45,151 tonnes	प्राप्त	बन्द
	अंचल – बड़कागांव							
19	मेसर्स माँ जगदम्बा स्टोन वर्क्स, साझेदार श्री शैलेन्द्र कुमार मेहता एवं अन्य, पिता श्री युगल किशोर मेहता, हुरहुरु रोड के०बी० हाई स्कूल के नजदीक, हजारीबाग।	02.07.15 से 10 वर्षो तक	जुगरा	खाता सं० 54, प्लॉट सं० 124 से 135(अंश) एवं 137 से 140, रकवा 4.26 एकड़	प्राप्त Ltr. 138 dt. 15.12.16 400 tonne per day valid upto 31.12.20	प्राप्त Ltr. 43 dt. 03.08.17 Mineable proved reserve 5,70,000 tonnes	प्राप्त	चालू
	अंचल – विष्णुगढ़							
20	मेसर्स जमनीजारा स्टोन माईंस, प्रो० श्री रामेश्वर महतो, पिता स्व० धनु महतो, ग्राम– जमनीजारा, पो०– कोनार डैम, थाना– विष्णुगढ़, जिला– हजारीबाग।	20.12.17 से 19.12.2027 तक	जमनीजारा	खाता सं० 38, प्लॉट सं० 96/36, रकवा 6.90 एकड़	प्राप्त Ltr. 69 dt 10.05.18 Stone Boulder 1st Year – 1,25,790 Tonne, 2nd Year – 1,25,518 Tonne 3rd Year – 1,25,483 Tonne 4th Year – 1,25,335 Tonne 5th Year – 1,25,387 Tonne valid upto 31.03.23	प्राप्त Ltr. 62 dt. 22.08.17 Mineable proved reserve 12,44,187 tonnes	प्राप्त	चालू